~ ·	
दिनाक:—	

सेवा में,

माननीय प्राचार्य महोदय, केन्द्रीय विद्यालय नं.1 बजाज नगर,जयपुर।

विषय :- विद्यालय भवन एवं उसके परिसर में बागवानी कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय.

उपर्युक्त विषय में प्रार्थना है कि फर्म द्वारा वि**द्यालय** भवन **एवं उसके परिसर में बागवानी कार्य** के लिए विद्यालय द्वारा निर्धारित निम्न सभी शर्तों को मानते हुए बागवानी कार्मिको की आपूर्ति करने के लिये आवेदन प्रस्तुत है :--

- 1. फर्म प्रपत्र 3 (राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान 1958) का धारक है जिसकी संख्या(प्रपत्र Annexure.1में संलग्न है) । है
- 2. जी.एस.टी. सखंया की प्रतिलिपि Annexure. 2 में संलग्न है।
- 3. पेन संख्या की प्रतिलिपि Annexure- 3 में संलग्न है।
- 4. EPF संख्या की प्रतिलिपि Annexure- 4 में संलग्न है।
- 5. ESI संख्या की प्रतिलिपि Annexure- 5 में संलग्न है।
- 6. निविदा के साथ प्रस्तुत (Earnest Money) के रूप में रूपये 5,000 / (रू पॉच हजार मात्र) का डिमांड ड्राफट / बैंकर चेक जो "VVN A/c K.V. No.1, Jaipur के पक्ष में जयपुर शाखा पर देय है सलंग्न है ।
- 7. फर्म के पक्ष में निविदा खुलने पर अनुबन्ध के समय सुरक्षा निधि के रूप में कुल रूपये 50,000 / (रूपये पचास हजार मात्र)जमा कराए जाएगें । फर्म द्वारा जमा कराई गई Earnest Money राशि रूपये 5,000 / (रूपये पाँच हजार मात्र) के अतिरिक्त फर्म द्वारा रूपये 45,000 / (रूपये पैतालीस हजार मात्र) डिमांड ड्राफट / बैंकर्स चैक के द्वारा विद्यालय में जमा करवाए जायेंगें । अर्थात जिस फर्म के साथ बागवानी का अनुबंध होता है उसकी ओर से अनुबन्ध के समय जमा सुरक्षा निधि के रूप में विद्यालय में कुल रूपये 50,000 / (रूपये पचास हजार मात्र) 31.01.2021 तक जमा रहेंगें । फर्म द्वारा अनुबंध का किसी भी तरह से खंडन / उल्लंधन करने पर सुरक्षा निधि की राशि विद्यालय द्वारा जब्त कर ली जाएगी ।
- 8. फर्म द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है कि फर्म केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर में से जो भी अधिक होगी, उस दर से सम्पूर्ण समयाविध (01.12.2019 से 30.11.2020) के लिए मेरी फर्म कार्मिकों को भुगतान करेगी। फर्म श्रम विभाग के सभी दायित्वो की अनुपालना सुनिश्चित करेगी। किसी भी प्रकार की कमी के लिये तथा सभी दायित्वो की अनुपालना करने के लिये फर्म तथा उसका मालिक व्यक्तिगत रूप से कानुनन उत्तरदायी रहेगे। अनुबन्ध अविध के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि होने पर विद्यालय द्वारा फर्म को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
- 9. बागवानी कार्य की दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से विद्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर दी गयी है । फर्म ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि विद्यालय द्वारा फर्म की कोई भी नई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी ।
- 10. उपर्युक्त कार्य के लिए निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विद्यालय को अमानत राशि (Earnest Money) जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 11. विद्यालय द्वारा बिल की राशि में से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार टी.डी.एस. एवं अन्य टैक्स काटकर भुगतान किया जायेगा।
- 12. EPF एवं ESI की राशि कार्मिक के खाते में प्रतिमाह जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा उसकी रसीद विद्यालय को प्रतिमाह प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक कार्मिक का EPF एवं ESI खाता संख्या पूर्ण रिकॉर्ड सिहत विद्यालय में जमा करवा दिया जायेगा। फर्म ने यह समझ लिया है कि विद्यालय द्वारा (FORMAT OF BID) के कॉलम संख्या 7 के आधार पर निविदा की दरें अंतिम की जायेगी।
- 13. फर्म द्वारा नियुक्त किये गये सभी कार्मिकों का पुलिस द्वारा चिरत्र सत्यापन फर्म द्वारा करवाकर विद्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 14. फर्म द्वारा नियुक्त किये गए सभी कार्मिकों का चरित्र एवं व्यवहार विद्यालय की गरिमा के अनुरूप रहेगा । शराब पीकर विद्यालय में डयूटी पर आना / धूम्रपान करना / गुटखा खाना / किसी भी तरह का नशीले पदार्थ का उपयोग कर विद्यालय में बागवानों के आने पर अमानत राशि जब्त कर ठेका रदद कर दिया जाएगा ।
- 15. बगवानी कार्य के दौरान प्रत्येक कार्मिक का आई.डी. कार्ड साथ में रहेगा।
- 16. बागवानी कार्य पर नियुक्त किया जाने वाला कोई भी कार्मिक 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगा।
- 17. प्रत्येक बागवानी कार्मिक को सप्ताह में एक दिन का आराम (Rest) दिया जायेगा। परन्तु विद्यालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान वास्तविक कार्य दिवसो का ही किया जायेगा। कार्मिक को रेस्ट देने पर उसके स्थान पर दूसरा बागवानी कर्मी फर्म को विद्यालय में बागवानी कार्य के लिये भेजना होगा।
- 18. सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विद्यालय द्वारा ठेका रद्द करने तथा फर्म की जमानत राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 19. विद्यालय पर सेवा कर लागू होने की स्थिति में सेवा कर जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी। फर्म द्वारा सेवा कर जमा करवाने की रसीद प्रस्तुत करने पर विद्यालय की सेवाओं पर भुगतान की गई सेवा कर राशि प्रतिमाह विद्यालय द्वारा फर्म को भुगतान कर दी जायेगी।

- 20. विद्यालय में कार्यरत कार्मिको का इ.पी.एफ एव इ.एस.आई जमा रसीद की प्रतिलिपि विद्यालय में जमा करवाने पर ई.पी.एफ एव ई.एस.आई का विद्यालय द्वारा भूगतान किया जायेगा।
- 21. भारत सरकार के श्रम मत्राांलय सहित अन्य सभी कानूनों की अनुपालना फर्म द्वारा की जाएगी।
- 22. विद्यालय में ड्यूटी के दौरान किसी भी बागवानी कार्मिक की किसी भी प्रकार की हानि / दुर्घटना होने पर विद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा । उसके लिये फर्म अथवा स्वयं कार्मिक उत्तरदायी रहेगें।
- 23. कार्मिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान फर्म द्वारा रेखांकित चैक से किया जाएगा । कार्मिकों का बैंक खाता विद्यालय परिसर में स्थित केनरा बैंक की शाखा में फर्म द्वारा खोला जाएगा । कार्मिकों के खाते में रेखांकित चैक से जमा राशि की प्रविष्टि पास बुक में दर्ज करवाकर पास बुक की फोटोकापी अगले माह के बिल के साथ जमा करवानी होगी ।
- 24. फर्म की बागवानी कार्य के दौरान विद्यालय में किसी भी प्रकार की हानि या चोरी होने पर, विद्यालय को हुई हानि की राशि का सम्पूर्ण भुगतान फर्म द्वारा विद्यालय को किया जाएगा । इस हानि या चोरी की राशि सुरक्षा निधि एवं बकाया बिलों से समायोजित कर ली जायेगी । हानि या चोरी की राशि सुरक्षा निधि एवं बकाया बिलों की कुल राशि से अधिक होने पर फर्म एवं प्रोपराईटर द्वारा अपनी निजी सम्पित्त से हानि की राशि का भुगतान विद्यालय को करना होगा। अतः फर्म एवं प्रोपराईटर द्वारा यह समझ लिया गया है कि बागवानी कार्य के अनुबन्ध के दौरान सम्पुर्ण हानि या चोरी की राशि विद्यालय को भुगतान के लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहेगी।
- 25. विद्यालय में प्रतिदिन कम से कम 03 (02 पुरूष एवं 01 महिला) कार्मिक बागवानी व्यवस्था के लिये आपूर्त करने होगे जो प्रतिदिन कम से कम 08 घण्टे कार्य करेगे। कार्य करने का समय विद्यालय की आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर दिया जायेगा। 08घण्टे कार्य नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 26. बागवानी कार्य में उपयोग आने वाले सभी औजार ठेकेदार के होगे। जिसमें फावडे, कुदाल, गेती, दातली, दुब काटने की मशीन, इत्यादी अन्य सभी उपकरण ठेकेदार के होगे।
- 27. खाद, बीज, पेड, पौधे, गमले, दुब इत्यादी माल की आपूर्ति विद्यालय द्वारा की जायेगी। पानी देने के पाईप की व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जायेगी। पाईप लाईन का उपयोग करते समय सब मर्सिबल पम्प में कोई हानी होती है तो उसकी क्षति पूर्ति टेकेदार की होगी।
- 28. बागवानी कार्य में विद्यालय परिसर में पेड पोधो की छटांई करना, खेल मैदान को दूब से हरा भरा रखना, पेड पोधे लगाना, पेड पौधो से गिरे हुए पत्तो को सफाई कर नियत स्थान पर जलाना, पेड पौधो एवं दुब को सॅवारना, उनमें पानी एवं खाद देना, विद्यालय परिसर में अनाश्यक उगी हुई घास को हटाना, विद्यालय भवन पर उगे हुए अनाश्यक पौधो को हटाना, इत्यादि कार्य करने का दायित्व अनुबन्धक का होगा।
- 29. बागवान कुशल(बागवानी कार्य जैसे पोधे लगाना, गुढाई करना, पेड पोधो की छटाई करना, खाद एवं बीज के उपयोग का ज्ञान रखना, पौधो में पानी देना इत्यादी कार्य में दक्ष हो) होना चाहिए।
- 30. किसी भी दिन बागवान नहीं होने पर उस दिन का भुगतान फर्म को नहीं किया जायेगा। उस दिन की न्यूनतम मजदूरी प्रोपराईटर द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्मिक को भुगतान किया जायेगा।
- 31. सम्पूर्ण विद्यालय परिसर की बागवानी कार्य के प्रबन्ध का दायित्व फर्म एवं प्रोपराईटर का होगा। बागवानी व्यवस्था उत्तम नहीं होने पर विद्यालय द्वारा सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर ठेका रदद् करने का कानूनन हक विद्यालय के पास सुरक्षित है।
- 32. फर्म द्वारा कार्मिकों को भुगतान प्रधान नियोक्ता या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष किया जाएगा | फर्म द्वारा कार्मिको को किये गये भुगतान का प्रमाण—पत्र फर्म द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 33. निविदा की वैधता संविदा के शुरू होने की तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी। फर्म द्वारा दी जा रही सेवाओ से सन्तुष्ट होने की स्थिति में समयाविध दोनो पक्षों की सहमति से एक वर्ष के लिये और बढाई जा सकती है
- 34. टेलैक्स / प्रतिकृति निविदा स्वीकृत नहीं होगी तथा प्रत्येक निविदा दाता की केवल एक ही निविदा स्वीकार की जायेगी।
- 35. मुहरबंद निविदाएं दिनांक 17.10.2019 से 13.11.2019 तक (दिनांक 13.11.2019 को दोपहर 02:00 बजे तक) विद्यालय कार्यालय में रिजस्टर्ड डाक द्वारा स्वीकार की जायेगी। प्राप्त निविदाएं दिनांक 13.11..2019 को दोपहर 03:00 बजे विद्यालय में उपस्थित निविदा दाताओं एवं समिति के समक्ष प्राचार्य कक्ष में खोली जायेगी।
- 36. निविदाएँ केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वैकृत की जाएँगी / व्यक्तिश निविदाएँ स्वीकृत नहीं होगी।
- 37. निविदा कर्ता प्रत्येक कार्य (सेवाओं) के लिए अलग –अलग आवेदन करेगा।
- 38. निविदाकर्ता को निविदा की शर्ते एवं अन्य दस्तावेज अलग से बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे तथा फार्मेट ऑफ बिड के साथ अमानत राशि व निविदा शुल्क रूपये 200 की जमा पर्ची संलग्न कर अलग बंद लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी तथा दोनों लिफाफे एक बडे लिफाफे में सील कर लिफाफे के ऊपर जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की है अंकित करना होगा।
- 39. निविदा शुल्क रूपये 200 प्रति कार्य के लिए विद्यालय में विद्यालय विकास निधि के.वि.क्रमांक —1 जयपुर के नाम खाता संख्या 369202010070408 आई एफ एस सी कोड UBIN0536920 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जयपुर में जमा कराने के पश्चात जमा रसीद निविदा प्रपत्र के फार्मेट ऑफ बिड के साथ संलग्न करनी होगी । जो निविदा कर्ता निविदा शुल्क जमा नहीं करायेगा उसकी निविदा स्वीकार नहीं होगी और निविदा निरस्त करने का अधिकार विद्यालय के पास स्रिक्षत रहेगा।
- 40. उपरोक्त सहित अन्य सभी शर्तें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार मान्य होगी ।
- 41. उपर्युक्त सभी शर्ते प्रोपराईटर एवं फर्म द्वारा व्यक्तिगत रूप से समझ ली गई है एवं मान्य है । फर्म द्वारा निर्धारित प्र—पत्र **(FORMAT OF BID) (जो निविदा प्रपत्र के बिन्दु संख्या 42) में** प्रस्तुत की गई दरे सभी शर्ते मान्य होने के बाद ही प्रस्तुत की गई है ।

S.	Category of	Remunera	EPF Rate	ESI Rate (in	Service	Total (Col.
No.	Manpower	tion per	(in Rs.) per	Rs.) per	Charges/Charges of	No. 3&6) (in
	_	day per	day per	day per	Uniforms/Bonus etc.	Rs.)
		person	person.As	person As	including overhead	
		(in Rs.)	per	per	profit (in Rs.) per day	
			prescribed	prescribed	per person	
			by EPF	by ESI		
			Department	Department		
			as on date	as on date		
1	2	3	4	5	6	7
1	बगवानी कार्य					
	हेतु कुशल					
	कार्मिक					
2	बगवानी कार्य					
	हेतु अकुशल					
	कार्मिक					

	_	_	
1		Г	•
٠.	-	•	

- 1. सेवा शुल्क की दर बिड के कॉलम संख्या 03 पर निर्धारित की जायेगी। जो कि राशिहै।
- 2. सेवा कर की राशि FORMAT OF BID में सिम्मिलित नहीं है। लागू होने की स्थिति में विद्यालय अलग से भुगतान करेगा।
- 3. बिड फार्मेट के कॉलम संख्या 06 में सेवा शुल्क शून्य (NIL) दर से भरने पर निविदा को रदद् कर दिया जायेगा।
- 4. अनुबन्ध की अवधि के दौरान न्यूनतम मजदुरी दर बढ़ने पर फर्म द्वारा कार्मिको को बढी हुई दर पर भुगतान किया जायेगा। विद्यालय द्वारा भी फर्म को बढी हुई दर पर ही भुगतान किया जायेगा। 5. कॉलम सख्या—7 में 02 या 02 से अधिक फर्मों की दरें समान रहने पर किसी भी एक फर्म को अनुबन्ध देने का
- 5. कॉलम सख्या—7 में 02 या 02 से अधिक फर्मों की दरें समान रहने पर किसी भी एक फर्म को अनुबन्ध देने का अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। जिसकी मुझ प्रोपराईटर को कोई आपित्त नहीं है, नाही मेरा कानूनी अधिकार रहेगा ।
- 6. विद्यालय द्वारा FORMAT OF BID के कॉलम संख्या 7 के आधार पर निविदा की दरे अंतिम की जायेगी |

	भैं	तथा	मेरी प	फर्म रि	नेविदा	प्रपत्र	में उ	उपर्युक्त	उल्ले	खित	सभी	नियम	एवं	शर्तीं	को	स्वीकार	करत	ते हुए	अनुब	न्धित	हूँ।
जिसके	लिए	निविद	रा प्रप	त्र के	साथः	अमानत	राइ	π (Ea	rnest	Moı	ney)	के रूप	में र	<u></u> 5,0	000 /	'- (स्त.	पॉच	हजार	मात्र)	की न	राशि
का बैंक	र्स चै	क / र्ड	ो.डी.	सं		दि	नाँक			सं	त्रग्न है	1									

संलग्न	दस्तावेजों का विवरण :
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
	भवदीय,
	प्रोप्राईटर के हस्ताक्षर
	प्रोप्राईंटर का नाम
	फर्म का नाम
	फर्म का पता

फोन नं.

GST No _____ PAN No. _____ फर्म की मोहर